



Neutral Citation No. - 2026:AHC:163794-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या- 16612/2026

रामसनेही एवं 3 अन्य

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : सोम नारायण मिश्रा, वैभव प्रकाश

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चन्द्र सामन्त

श्री सोम नारायण मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता, याचिकाकर्तागण की ओर से प्रस्तुत करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुई है। याचिकाकर्तागण को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है और इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किए जाने योग्य है।

विद्वान ए.जी.ए. का तर्क है कि संक्षेप में, प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित अभियोजन प्रकरण यह है कि मृतका को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था। उसकी अप्राकृतिक मृत्यु हुई। मृतका अपने वैवाहिक घर में फांसी पर लटकी हुई पाई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में याचिकाकर्तागण को विशिष्ट रूप से नामजद किया गया है।

विद्वान ए.जी.ए. निर्देशों के आधार पर आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री प्रथमदृष्टया अपराधों के कारित किए जाने का प्रकटीकरण करती है और उसकी गहन विवेचना किया जाना अपेक्षित है। याचिकाकर्तागण के विरुद्ध अपराध के आवश्यक तत्व प्रकट होते हैं। विवेचना प्रचलित है। इस स्तर पर याचिकाकर्तागण की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से विवेचना में बाधा उत्पन्न होगी, साक्ष्य की हानि या उसके लोप होने का कारण बनेगा और यह हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 पूरक (1) एस.सी.सी. 335 में अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2021) 19 एस.सी.सी. 401 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के विपरीत होगा।

भजन लाल (उपर्युक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"102- अध्याय XIV के अन्तर्गत संहिता के विभिन्न सुसंगत उपबंधों की व्याख्या तथा अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत असाधारण शक्ति अथवा संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत एवं पुनरुत्पादित किया है, हमने उदाहरण के रूप में प्रकरणों की निम्नलिखित श्रेणियां दी हैं, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अथवा अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, यद्यपि ऐसे असंख्य प्रकार के प्रकरणों की कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा पर्याप्त रूप से निर्देशित और अपरिवर्तनीय दिशानिर्देश अथवा कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और न ही ऐसे समस्त प्रकार के प्रकरणों की एक संपूर्ण सूची दी जा सकती है, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1)- जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके प्रथमदृष्टया स्वरूप में लिया जाए और पूर्णतः स्वीकार किया जाए, प्रथमदृष्टया किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं अथवा अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रकरण नहीं बनाते हैं।

(2)- जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ संलग्न अन्य सामग्री, यदि कोई हो, किसी संज्ञेय अपराध का प्रकटीकरण नहीं करती है, जो संहिता की धारा 156(1) के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों द्वारा विवेचना किए जाने को न्यायोचित ठहराता हो, सिवाय इसके कि संहिता की धारा 155(2) के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन ऐसी विवेचना की जा सकती है।

(3)- जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप तथा उनके समर्थन में एकत्रित किए गए साक्ष्य किसी अपराध के कारित किए जाने का प्रकटीकरण नहीं करते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रकरण नहीं बनाते हैं।

(4)- जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की धारा 155(2) में परिकल्पित मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा कोई विवेचना अनुमन्य नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(5)- जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने असंगत एवं स्वभावतः असंभाव्य हैं कि उनके आधार पर कोई विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस न्यायोचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6)- जहां संहिता अथवा संबंधित अधिनियम, जिसके अन्तर्गत आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई है, के किसी उपबंध में कार्यवाही के संस्थित किए जाने और उसके जारी रहने के लिए कोई स्पष्ट विधिक बाधा अंतर्निहित है और/या जहां संहिता अथवा संबंधित अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी प्रतितोष का कोई विशिष्ट उपबंध किया गया है।

(7)- जहां कोई आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण हो और/या जहां कार्यवाही अभियुक्त के विरुद्ध प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से तथा निजी एवं व्यक्तिगत रंजिश के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्वक संस्थित की गई हो।

103- हम इस संबंध में सावधानी की एक टिप्पणी भी करते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत विरलता से एवं सावधानीपूर्वक और वह भी अत्यंत विरलतम प्रकरणों में किया जाना चाहिए; न्यायालय प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता अथवा वास्तविकता या अन्यथा के संबंध में जांच करने के लिए आगे बढ़ने के लिए न्यायोचित नहीं होगा और असाधारण अथवा अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी इच्छा अथवा मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए कोई स्वेच्छाचारी अधिकारिता प्रदान नहीं करती हैं।"

नीहारिका (उपर्युक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि को निम्नानुसार स्पष्ट किया है:

"33.16- उपर्युक्त मानदंड लागू होंगे और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत और/या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी निरस्तीकरण याचिका में अंतरिम आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त पहलुओं पर विचार किया जाना अपेक्षित है। हालांकि, निरस्तीकरण याचिका के लंबित रहने के दौरान विवेचना पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश सावधानीपूर्वक पारित किया जा सकता है। ऐसा अंतरिम आदेश नियमित रूप से, आकस्मिक रूप से और/या यांत्रिक रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए। सामान्यतः, जब विवेचना प्रचलित हो और तथ्य अस्पष्ट हों तथा संपूर्ण साक्ष्य/सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध न हो, तो उच्च न्यायालय को गिरफ्तारी न करने अथवा 'कोई बलपूर्वक कार्रवाई न किए जाने' का अंतरिम आदेश पारित करने से स्वयं को अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रोकना चाहिए और अभियुक्त को सक्षम न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत अग्रिम जमानत हेतु आवेदन करने के लिए भेजा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय को न तो गिरफ्तारी न करने और/या 'कोई बलपूर्वक कार्रवाई' न किए जाने का आदेश पारित करना चाहिए और न ही ऐसा करना न्यायोचित है, चाहे वह विवेचना के दौरान हो अथवा विवेचना पूर्ण होने तक और/या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अन्तर्गत अंतिम रिपोर्ट/आरोप-पत्र दाखिल होने तक, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत निरस्तीकरण याचिका को खारिज/निस्तारित किया जा रहा हो।"

भजन लाल (उपर्युक्त) तथा नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर (उपर्युक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर पूर्णतः लागू होते हैं और हमें याचिकाकर्तागण को कोई अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से विरत करते हैं।

प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किए जाने की मांगी गई राहत भी उन्हीं कारणों से तदनुसार अस्वीकार की जाती है।

रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति दिवेश चन्द्र सामंत) (न्यायमूर्ति अजय भनोट)

5 अगस्त, 2026

धनंजय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।